न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम आर0 ए0 एस0

राजस्व वाद पत्र संख्या :– 53/2021

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. आईदानराम पुत्र दलाराम	1. घमण्डाराम पुत्र दुर्गाराम
2. ईशराराम पुत्र दलाराम	2. जोगाराम पुत्र लाधाराम
3. केसाराम पुत्र बादराराम	3. टीपू पत्नी दुर्गाराम
4. चुनाराम पुत्र मानाराम	4. दमाराम पुत्र सुरताराम
5. जेठाराम पुत्र दलाराम	5. पोकराराम पुत्र खूमाराम फौत के वारिश 5/1. लूंम्बाराम पुत्र पोकराराम
6. जमनादेवी पत्नी रेखाराम	6. बांकाराम पुत्र लाधाराम
7. जयाराम पुत्र मानाराम	7. बागाराम पुत्र दुर्गाराम
8. जोगाराम पुत्र वगताराम	8. भूरीदेवी पत्नी लाधाराम
9. देवी पत्नी वगताराम	9. मेगाराम पुत्र दुर्गाराम
10. दानाराम पुत्र बादराराम	10. मोटाराम पुत्र दुर्गाराम जाति जाट निवासी सारणों का सरा पटवार क्षेत्र भलीसर तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।
11. नगाराम पुत्र रेखाराम	11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर राजस्थान।
12. पूनमाराम पुत्र हरचन्दराम	
13. पनाराम पुत्र देवाराम	
14. पेमाराम पुत्र वगताराम	
15. पुरखाराम पुत्र हरचन्दराम	
16. पीराराम पुत्र दलाराम	
17. मूलाराम पुत्र बादराराम जाति जाट निवासी सारणों का सरा पटवार क्षेत्र भलीसर तहसील धोरीमना	

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 49, 89(ख), 188 व 209 रा0का0अधि0 वास्ते चकबन्दी (अदला– बदली), क्षेत्रफल व सीमाएं परिवर्तन, स्थायी निषेधाज्ञा

तारीख रजू 17/08/21

अधिवक्तागणः–

01. श्री देवाराम चौधरी अधिवक्ता वादी

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना सत्यमेव जयते जिला बाड़मेर

– : : निर्णय : : –

दिनांक 05/01/24

वाद का संक्षेप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 49, 89(ख), 188 व 209 रा0का0अधि0 वास्ते चकबन्दी (अदला– बदली), क्षेत्रफल व सीमाएं परिवर्तन, स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन हैं कि वादीगण की खातेदारी के खेत ग्राम सारणों का सरा पटवार क्षेत्र भलीसर तहसील धोरीमना के खेत खसरा नम्बर 467/3 क्षेत्रफल 0.1052 हैक्टेयर किस्म बारानी सं... नम्बर 467/4 क्षेत्रफल 3.2051 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम कुल क्षेत्रफल 3.3103 हैक्टेयर अंकन हुआ है जो आगे वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:33:00 IST
Reason: SelfAttested

05/01/24
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

आराजी के नाम से संबोधित जाएगी। जिसकी जमाबन्दी नकल, नक्शा की प्रति संलग्न है। प्रतिवादी संख्या 01 से 10 की खातेदारी के खेत ग्राम सारणों का सरा पटवार क्षैत्र भलीसर तहसील धोरीमना के खेत खसरा नम्बर 467 क्षैत्रफल 3.1970 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 467/2 क्षैत्रफल 0.1133 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम दोनों खसरो का कुल क्षैत्रफल 3.3103 हैक्टेयर तथा प्रतिवादी संख्या 11 राज्य सरकार की जमीन ग्राम सारणों का सरा पटवार क्षैत्र भलीसर तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 467/1 क्षैत्रफल 0.0809 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है जो आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित जाएगी। जिसकी जमाबन्दी नकल, नक्शा की प्रति संलग्न है। वादग्रस्त आराजी मूल खसरा नम्बर 467 क्षैत्रफल 6.7015 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम मे से विभक्त होकर पांचों भागों में विभाजित हुए है जिसका खसरा नम्बर 467/3 क्षैत्रफल 0.1052 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 467/4 क्षैत्रफल 3.2051 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम कुल क्षैत्रफल 3.3103 हैक्टेयर वादीगण, खसरा नम्बर 467 क्षैत्रफल 3.1970 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 467/2 क्षैत्रफल 0.1133 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम दोनों खसरो का कुल क्षैत्रफल 3.3103 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 01 से 10 के नाम, खसरा नम्बर 467/1 क्षैत्रफल 0.0809 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम राज्य सरकार प्रतिवादी संख्या 11 के नाम दर्ज होकर राजस्व रिकॉर्ड मे अलग–अलग भाग जारी हुऐ है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 467, 467/2, 467/3, 467/4 के बीचो–बीच खसरा नम्बर 467/1 है जो चारों खसरों के मध्य है। खसरा नम्बर 467/1 क्षैत्रफल 0.0809 हैक्टेयर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 10 द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण किया गया था। उस समय वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 10 की इच्छा वादग्रस्त आराजी के उत्तर सेढे से समर्पण करना था लेकिन हल्का पटवारी द्वारा बीचो– बीच से प्रस्तावित कर दिया था जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 10 के खसरों का विभाजन कर दिया जो टुकड़ों में हो गया था, तथा खसरा नम्बर 467, 467/2 में विभाजन करवाते समय गलती से लोक–अदालत में आनन– फानन मे सहमति बंटवारा पेश किया जिसमें मौके के कब्जे काश्त को ध्यान में नहीं रखा गया खसरा नम्बर 467/2, 467/3, 467/1 सम्पूर्ण व 467/4, 467 में आंशिक भाग पर वादीगण का कब्जा काश्त, रहवासीय ढाणियों, टांके, बेरा आदि बने हुए है तथा खसरा नम्बर 467, 467/4 में आंशिक भाग पर प्रतिवादी संख्या 01 से 10 का कब्जा काश्त रहवासीय ढाणी, टांका, बेरा आदि बने हुए है जिससे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 10 को बाड़ करने, सिचांई करने में असुविधा हो रही है तथा धन, समय, आदि व्यर्थ हो रहा है। वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से एक साथ ... चाहते है जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 10 के सुविधा रहेगी खेत एक साथ ... जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 10 के फसल लेने, ... रहेगी तथा वादीगण व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:33:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना ★ जिला-बाड़मेर ★ सत्यमेव जयते

05/01/24
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

तिवादी संख्या 01 से 10 के खेत की रूखवाली के जगह –जगह पर तारबन्दी नही करनी पड़ेगी। खेत कम खराब होगा समान रूप से खाद्–बीच आदि डाला जाऐगा धन व समय की बचत होगी। तथा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 467/1 क्षेत्रफल 0.0809 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम पर वादीगण का कब्जा है जो परिशिष्ट "ए" में बरंग हरा से दर्शाया गया है इस खसरे के बदले ख. न. 467/2, 467/3 के उत्तरी सेढे त्रिभुजाकार पर परिशिष्ट "ए" में बरंग काला से दर्शाया गया है, खसरा नम्बर 467, 467/2 के बदले खसरा नम्र 467/4 मे आंशिक जो परिशिष्ट "ए" बरंग लाल से दर्शाया गया है, सभी खसरों का रकबा समान, किस्म समान, बाजार मूल्य व डीएलसी समान, एक ही राजस्व ग्राम में स्थित है, इस प्रकार वादी की भूमि एक चक करने का वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। वादीगण की वादग्रस्त आराजी ग्राम सारणों का सरा पटवार क्षेत्र भलीसर तहसील धोरीमना के खेत खसरा नम्बर 467/3 क्षेत्रफल 0.1052 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 467/4 क्षेत्रफल 3.2051 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम कुल क्षेत्रफल 3.3103 हैक्टेयर है जो दो भागों में विभाजित है उक्त खसरो का सीमा एक चक करने की आवश्यकता है दोनों अलग–अलग खसरो के बजाय एक खसरा करने आवश्यक है तथा वादीगण को परेशानी का सामना करना पड़ता है, एक खसरे की सीमा परिवर्तन कर दोनों खसरों के स्थान पर एक खसरा करवाना चाहते हैं तथा कुल क्षेत्रफल 3. 3103 हैक्टेयर रखवाना चाहते है, प्रतिवादी संख्या 01 से 10 की कब्जा काश्त व खातेदारी के खेत ग्राम सारणों का सरा पटवार क्षेत्र भलीसर तहसील धोरीमना के खेत खसरा नम्बर 467 क्षेत्रफल 3.1970 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 467/2 क्षेत्रफल 0.1133 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम दोनों खसरो का कुल क्षेत्रफल 3.3103 हैक्टेयर हैं जो दो भागों में विभाजित है उक्त खसरो का सीमा एक चक करने की आवश्यकता है दोनों अलग–अलग खसरो के बजाय एक खसरा करने आवश्यक है तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 10 को परेशानी का सामना करना पड़ता है, एक खसरे की सीमा परिवर्तन कर दोनों खसरों के स्थान पर एक खसरा करवाना चाहते हैं तथा कुल क्षेत्रफल 3.3103 हैक्टेयर रखवाना चाहते है, प्रतिवादी सख्या 11 का खसरा नम्बर 467/1 क्षेत्रफल 0.0809 हैक्टेयर किस्म बारानी का मौके पर चल रहे स्थान पर सीमा परिवर्तन की जाएं ताकि मौके की एकरूपता आ जाए। परिशिष्ट "ए" अनुसार लट्ठा नक्शा तरमीम व परिशिष्ट "ब" अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त की जाएं, जो वाद पत्र के अभिन्न अंग, अंश व अंतिम पेज पढ़ा जाएं, इसलिए सीमा परिवर्तन का वाद पेश है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर वादग्रस्त आराजी में वादीगण चकबन्दी (अदला– बदली), क्षेत्रफल व सीमाएं परिवर्तन करवाने के विधिक अधिकारी है, इसके साथ ही वादीगण अपने पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है कि उपरोक्त वर्णित चकबन्दी (अदला– बदली), क्षेत्रफल व सीमाएं परिवर्तन में किसी प्रकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:33:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना ★ जिला-बाड़मेर ★ सत्यमेव जयते

05/01/24
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

दखलदाजी नहीं करे और न ही वादीगण के हिस्से व बंट पर जबरन कब्जा करने से प्रतिवादीगण को पांबदित करवावें, जिसकी पूर्ति यह वाद स्थायी निषेधाज्ञा का पेश है। बिनायदावा जब वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण खातेदारी में अंकित हुई तब, अरसा 15 रोज पूर्व वादीगण को भूमि से वंचित रखने के लिये बेचान, अवैध कब्जा करने की धमकियां दी गयी तब, प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की तब वादीगण को उनके कब्जे काश्त में बेदखल करने की कोशिश की गयी तब तब वादकारण बमुकाम ग्राम सारणों का सरा पटवार क्षैत्र भलीसर तहसील धोरीमना जिला बाड़मेंर में पैदा हुआ हैं तब वादीगण को यह वाद लाना लाजमी हो गया है। वादग्रस्त आराजी ग्राम सारणों का सरा पटवार क्षैत्र भलीसर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित है इसलिए हस्तगत वाद श्रीमानजी के श्रवण व क्षैत्राधिकार में है। यह वाद अन्तर्गत धारा 49, 89ख, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत होने से निश्चित कोर्ट फीस 4/–रूपये के स्टाम्प पेश है। और यह वाद अन्दर म्याद पेश है। अनुतोषः अतः वादीगण की इस्तदुआ है कि निम्नाकित डिकरी बहक वादीगण और प्रतिवादीगण के खिलाफ फरमायी जावें। क. कि पटवार मण्डल भलीसर ग्राम सारणों का सरा के खसरा नम्बर 467/4 का आंशिक भाग के बदले खसरा नम्बर 467 अदला बदली, खसरा नम्बर 467/2 के बदले में खसरा नम्बर 467/4 में अदला – बदली व खसरा नम्बर 467/1 क्षैत्रफल 0.0809 है0 में बदले खसरा नम्बर 467/3, 467/2 के आंशिक भाग की अदला–बदली की जाएं जो परिशिष्ट ''ए'' में बरंग दर्शाया अनुसार बदली–बदली (चकबन्दी) की जाए। ख. वादग्रस्त आराजी ग्राम सारणों का सरा पटवार क्षैत्र भलीसर तहसील धोरीमना के खेत खसरा नम्बर 467/3 क्षैत्रफल 0.1052 है0 खसरा नम्बर 467/4 क्षैत्रफल 3.2051 है0 कुल क्षैत्रफल 3.3103 हैक्टेयर है जो दो भागों में विभाजित है उक्त खसरो का सीमा एक चक की जाएं। प्रतिवादी संख्या 01 से 10 की खातेदारी के खेत ग्राम सारणों का सरा पटवार क्षैत्र भलीसर तहसील धोरीमना के खेत खसरा नम्बर 467 क्षैत्रफल 3.1970 है0, खसरा नम्बर 467/2 क्षैत्रफल 0.1133 है0 दोनों खसरो का कुल क्षैत्रफल 3.3103 हैक्टेयर हैं जो दो भागों में विभाजित है उक्त खसरो का सीमा एक चक की जाएं।, प्रतिवादी सख्या 11 का खसरा नम्बर 467/1 क्षैत्रफल 0.0809 हैक्टेयर किस्म बारानी का मौके पर चल रहे स्थान पर सीमा परिवर्तन की जाएं ताकि मौके की एकरूपता आ जाए। परिशिष्ट ''ए'' अनुसार लट्ठा नक्शा तरमीम व परिशिष्ट ''ब'' अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त की जाएं एमव् इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकण दर्ज किया जाएं स. कि वाद चकबन्दी, सीमा परिवर्तन के बाद वादीगण को प्राप्त होने वाली भूमि में प्रतिवादीगण उनके परिवार के सदस्य व प्रतिनिधि किसी प्रकार की दंखल अन्दाजी व हस्तक्षेप, बाधा व परिवर्तन नहीं करें तथा वादीगण को अपने कब्जे काश्त की भूमि तक आने–जाने में किसी प्रकार का बाधा नहीं करे राजस्व व मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:33:00 IST
Reason: SelfAttested

05/01/24
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

र्ड की यथास्थिति बनाये रखें, जिस हेतु प्रतिवादीगण उनके परिवार के सदस्य व प्रतिनिधि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंदित किया जावें। द. कि अन्य सहायता जो वाद की जांच से वादीगण के पक्ष में प्रमाणित हो वो वादीगण को दिलवाई जावे और धारा 209 रा0का0 अधि0, सपठित आदेश 7 नियम 7 व सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत वादीगण इस्तदुआ प्राप्त करने का हकदार बनते हो वो दिलवाई जावे का वाद पेश किया।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये रजि0 नोटिस से तलब किया गया।

प्रतिवादीगण कके वकील ने वकालात नामा पेश किया जो सामिल पत्रावली किया पत्रावाली में तहसीलदार धोरीमना से मौका तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई जो सामिल पत्रावली की गई पत्रावाली में प्रतिवादीगण को जबाब के कई अवसर देने के बावजुद जबाब पेश नहीं करने पर जबाब बन्द किया गया। पत्रावली वादी साक्ष्य में तय की गई।

साक्ष्य वादी के दौरान साक्ष्य के दौरान वादीगण द्वारा पेश दस्तावेज प्रदर्श पी– 01 से प्रदर्श पी– 7 तक अंकित किया गया। साक्ष्य वादी के दौरान वादी मूलाराम के साक्ष्य शपथ पत्र को प्रदर्श पी डब्ल्यू 01 अंकित किया गया ब्याज कलम बद्ध कर सामिल मिसल किया गया।

साक्ष्य के बाद पत्रावली बहस में नियत की गई।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना एवम् पत्रावली, वादपत्र, प्रदर्शित दस्तावेजों , तहसीलदार धोरीमना से पेश रिपोर्ट इत्यादि का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। हमने तहसीलदार धोरीमना क्रमांक /भू0अ0/2023/2364 दिनांक 21.12.2023 के अनुसार खसरा संख्या 467/2, 467/3, 467/4 कुल रकबा 3.3103 हेक्टेयर बरंग हरा वादीगण की तथा खसरा संख्या 467 रकबा 3.3103 हेक्टयर बरंग लाल प्रतिवादीगण की खातेदारी में, खसरा संख्या 467/2, 467/3 का एक खसरा संलग्न नक्शा परिशिष्ट ''ब'' अनुसार विलोपित किया जाना प्रस्तावित हैं परिशिष्ट ''ब'' अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त, अदला–बदली किया जाना हम उचित एवं विधि संगत समझते है।

–:: आदेश::–

अतः वादीगण की इस्तदुआ स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि वादीगण की खातेदारी के खेत ग्राम सारणों का सरा पटवार क्षेत्र भलीसर तहसील धोरीमना के खेत खसरा नम्बर 467/3 क्षेत्रफल 0.1052 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, [illegible] र 467/4 क्षेत्रफल 3.2051 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम कुल क्षेत्रफल 3.3103 हैक्टेयर [illegible] 01 से 10 की खातेदारी के खेत ग्राम सारणों का सरा पटवार क्षेत्र भलीसर तहसील धोरीमना के खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:33:00 IST
Reason: SelfAttested

05/01/24
सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 467 क्षैत्रफल 3.1970 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 467/2 क्षैत्रफल 0.1133 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम दोनों खसरो का कुल क्षैत्रफल 3.3103 हैक्टेयर में तहसीलदार धोरीमना क्रमांक /भू0310/2023/2364 दिनांक 21.12.2023 के अनुसार खसरा संख्या 467/2, 467/3, 467/4 कुल रकबा 3.3103 हेक्टेयर बरंग हरा वादीगण की तथा खसरा संख्या 467 रकबा 3.3103 हेक्टयर बरंग लाल प्रतिवादीगण की खातेदारी में, खसरा संख्या 467/2, 467/3 का एक खसरा संलग्न नक्शा परिशिष्ट ''ब'' अनुसार विलोपित किया जाना प्रस्तावित हैं परिशिष्ट ''ब'' अनुसार राजस्व नक्शा में **ऑनलाईन जमाबन्दी व खसरा नक्शा में दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। संलग्न मौका तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग व अंश रहेगी। डिक्री पृथक से बनाई जाकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार धोरीमना निर्णय व डिकरी की पालना राजस्व रेकर्ड में करें।**

पत्रावली संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

05/01/24

(लाखाराम RAS)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी धोरीमना

सहायक कलेक्टर (SDO) धोरीमना जिला-बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 05/01/24 को सरे ईजलास सुनाया गया।

05/01/24

(लाखाराम RAS)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी धोरीमना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:33:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम धोरीमना

बइजलास :– श्री लाखाराम आर0 ए0 एस0

वाद संख्या :– 53/2021

वादीगण

1. आईदानराम पुत्र दलाराम
2. ईशराराम पुत्र दलाराम
3. केसाराम पुत्र बादराराम
4. चुनाराम पुत्र मानाराम
5. जेठाराम पुत्र दलाराम
6. जमनादेवी पत्नी रेखाराम
7. जयाराम पुत्र मानाराम
8. जोगाराम पुत्र वगताराम
9. देवी पत्नी वगताराम
10. दानाराम पुत्र बादराराम
11. नगाराम पुत्र रेखाराम
12. पूनमाराम पुत्र हरचन्दराम
13. पनाराम पुत्र देवाराम
14. पेमाराम पुत्र वगताराम
15. पुरखाराम पुत्र हरचन्दराम
16. पीराराम पुत्र दलाराम
17. मूलाराम पुत्र बादराराम जाति जाट निवासी सारणों का सरा पटवार क्षैत्र भलीसर तहसील धोरीमना

बनाम प्रतिवादीगण

1. घमण्डाराम पुत्र दुर्गाराम
2. जोगाराम पुत्र लाधाराम
3. टीपू पत्नी दुर्गाराम
4. दमाराम पुत्र सुरताराम
5. पोकराराम पुत्र खूमाराम फौत के वारिश
   5/1. लूंम्बाराम पुत्र पोकराराम
6. बांकाराम पुत्र लाधाराम
7. बागाराम पुत्र दुर्गाराम
8. भूरीदेवी पत्नी लाधाराम
9. मेगाराम पुत्र दुर्गाराम
10. मोटाराम पुत्र दुर्गाराम जाति जाट निवासी सारणों का सरा पटवार क्षैत्र भलीसर तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर राजस्थान।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 49, 89(ख), 188 व 209 रा0का0अधि0 वास्ते चकबन्दी (अदला–बदली), क्षेत्रफल व सीमाएं परिवर्तन, स्थायी निषेधाज्ञा

अधिवक्तागण:–

01. श्री देवाराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू. पक्षकारान् व हाजरी मिनजानिब मुदई वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती हैं कि वादीगण की खातेदारी के खेत ग्राम सारणों का सरा पटवार क्षैत्र भलीसर तहसील धोरीमना के खेत खसरा नम्बर 467/3 क्षैत्रफल 0.1052 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 467/4 क्षैत्रफल 3.2051 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम कुल क्षैत्रफल 3.3103 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 01 से 10 की खातेदारी के खेत ग्राम सारणों का सरा पटवार क्षैत्र भलीसर तहसील धोरीमना के खेत खसरा नम्बर 467 क्षैत्रफल 3.1970 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम खसरा नम्बर 467/2 क्षैत्रफल 0.1133 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम दोनों का कुल क्षैत्रफल 3.3103 हैक्टेयर में तहसीलदार धोरीमना क्रमांक /भू0अभि0/2023/2364 दिनांक 21.12.2023 के अनुसार खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:33:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमना जिला-बाड़मेर

05/01/24
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 467/2, 467/3, 467/4 कुल रकबा 3.3103 हेक्टेयर बरंग हरा वादीगण की तथा खसरा संख्या 467 रकबा 3.3103 हेक्टयर बरंग लाल प्रतिवादीगण की खातेदारी में, खसरा संख्या 467/2, 467/3 का एक खसरा संलग्न नक्शा परिशिष्ट ''ब'' अनुसार विलोपित किया जाना प्रस्तावित हैं परिशिष्ट ''ब'' अनुसार राजस्व नक्शा में **ऑनलाईन जमाबन्दी व खसरा नक्शा में दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार धोरीमना निर्णय व डिकरी की पालना राजस्व रेकर्ड में करें।**

नीज .... मबलिग .... बाबत .... खर्चा। इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीस सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल याबी तक .... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05/01/24 को सरे ईजलास जारी किया गया।

5/01/24

(लाखाराम RAS)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी धोरीमना

सहायक कलेक्टर (SDO) धोरीमना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:33:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner